



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082021-229200  
CG-DL-E-24082021-229200

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]  
No. 473]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 24, 2021/भाद्र 2, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 24, 2021/BHADRA 2, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2021

सं. 45/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 585(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "बेरियम कार्बोनेट", जो कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2836 60 00 के अंतरगत आता है, पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को वापस लेती है और एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अप्रैल, 2016, जिसे सा.का.नि. 443 (अ) दिनांक 21 अप्रैल, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गयी अथवा न की गयी बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[ फा.सं. सीबीआईसी 190354/154/2021-टीआरयू-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप-सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th August, 2021

**No. 45 /2021-Customs (ADD)**

**G.S.R. 585(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government revokes the anti-dumping duty imposed on “ Barium Carbonate”, falling under tariff item 2836 60 00 of the First Schedule to the said Act, originating in or exported from People’s Republic of China, and imported into India and hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 14/2016-Customs (ADD), dated the 21<sup>st</sup> April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 434(E), dated the 21<sup>st</sup> April, 2016, except as respect things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. CBIC-190354/154/2021–TRU-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.